# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2013 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. कन्हैयालाल
2. लल्लूराम
   पुत्रान रेवडमल सैनी
3. रामकिशन पुत्र नारायण लाल सैनी
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम अरणिया तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अध्यक्ष आवंटन कमेटी परगना अधिकारी, बांदीकुई कैम्प अरणिया उप जिला कलक्टर बांदीकुई।
2. तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
3. मन्जू देवी पत्नि रामनिवास सैनी जाति माली निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 9.4.2013 बाबत भूमि खसरा नं0 1604 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 1503/3917 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 ग्राम अरणिया तहसील बसवा जिला दौसा।

उपस्थिति : श्री संदीप चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 3.11.2017

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 व 3 जा0 दी0 व धारा 5 मियाद अधि0)

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अरणिया तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 1604 रकबा 0.13 है0 राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही थी। उक्त भूमि पर मिन प्रार्थीगण का अरसादराज से सम्मिलित रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण ने काफी रूपया लगाकर समतल किया है तथा मेहनत कर काश्त करने योग्य बनाया है एवं करीब 30 वर्षो से प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते आ रहे है और आज भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौजूद है। दिनांक 9.4.2013 को ग्राम अरणिया में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 के तहत लगे कैम्प में अप्रार्थी नं0 3 ने भूमि आराजी खसरा नं0

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

1604 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 1503/3917 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 है0 का नाजायज व अवैध रूप से आवंटन अपने हक में आवंटन कमेटी से सांठगाठ कर करवा लिया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 9.4.2013 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स पेश कर उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 व 3 जा0 दी0 पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 13.1.2016 को सुनवाई के दौरान अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने न्यायालय को मौखिक जानकारी दी कि प्रकरण के प्रार्थी सं0 1 कन्हैयालाल सैनी पुत्र रेवडमल सैनी निवासी ग्राम अरणिया का देहान्त हो चुका है। इस पर प्रार्थीगण से सम्पर्क कर जानकारी चाहने पर मिन प्रार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को अवगत कराया कि दिनांक 24.9.2013 को कन्हैया लाल सैनी प्रार्थी सं0 1 की मुत्यु हो गयी थी, इससे पूर्व मिन प्रार्थीगण के अधिवक्ता को कन्हैयालाल सैनी के फौत हो जाने की जानकारी नही थी। इस दरम्यान मिन प्रार्थीगण का अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नही हुआ। इस कारण प्रार्थी सं0 1 के फौत हो जाने की जानकारी नही मिल सकी। जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 व 3 जा0 दी0 पेश कर दिया गया। कानूनन मृतक के कायम मुकाम वारिसान को मृत्यु से 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है, लेकिन दिनांक 24.9.2013 से दिनांक 13.1.2016 के मध्य की अवधि जानकारी के अभाव में व्यथित हुई है। इसलिये उक्त अवधि को कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम को अन्दर मियाद स्वीकार कर मृतक कन्हैयालाल सैनी प्रार्थी सं0 1 के वारिसान को बतौर प्रार्थीगण पक्षकार बनाते हुये रिकार्ड पर लेने की कृपा करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी कन्हैयालाल सैनी की मृत्यु की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही थी। मृतक कन्हैयालाल दिनांक 24.9.2013 को ही फौत हो चुका था, जो कि प्रकरण में पक्षकार प्रार्थी सं0 2 व 3 के परिवार का सदस्य था। अधिवक्ता प्रार्थी का यह कहना कि कन्हैया लाल की मृत्यु की जानकारी नही थी, संभव नही है। जानकारी होने के बावजूद समय सीमा में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। जिस कारण प्रकरण अबेट हो चुका है, और ना ही अबेटमेन्ट निरस्त फरमाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिये अधिवक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 व 3 जा0 दी0 निरस्तनीय है। प्रकरण में कन्हैया लाल के अलावा शेष प्रार्थीगण प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आते थे व अभिभाषक से मिलते थे। अतः कन्हैयालाल की मृत्यु की जानकारी नही होना भी असंभव है। किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उसके स्थान पर उसके कायम मुकामो को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना पत्र मृत्यु की दिनांक से 90 दिन की अवधि में पेश करना व पक्षकार बनाना आवश्यक होता है। अन्यथा प्रकरण नहीं चल सकता है। प्रार्थना पत्र समय सीमा में पेश नही होने के कारण अबेट हो चुका है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम निरस्त कर प्रार्थना पत्र 14(4) को अबेट फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान की बहस व पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में

अति० जिला कलक्टर
दौसा

प्र0सं0 : 28 / 2013 प्रार्थना पत्र 14(4)

प्रार्थी सं0 1 दिनांक 24.9.2013 को फौत हो जाना अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया है। किन्तु प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिनांक 4.3.2016 को पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी सं0 1 की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया जाना अपेक्षित था। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) को खारिज किये जाने से रोकने हेतु आदेश 22 नियम 9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किये जाने में हुये विलम्ब के लिये उचित कारण भी व्यक्त नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 व 3 जा0 दी0 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र 14(4) को खारिज किये जाने से रोकने हेतु आदेश 22 नियम 9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन रूल्स अबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 3.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा